

भारत का सर्वोच्च न्यायालय  
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 342/2022

कमला देवी ..... अपीलकर्ता (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी(ओं)

साथ

आपराधिक अपील संख्या 343/2022

कमला देवी ..... अपीलकर्ता (ओं)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी (ओं)

निर्णय

नागरत्ना जे.

ये अपील अपीलकर्ता, जो मृतक सोहन सिंह की पत्नी हैं, ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित 9 सितंबर, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की हैं। एस.बी.क्रिमिनल विविध जमानत आवेदन संख्या 10473/2019 और 11546/2019 में क्रमशः दो अभियुक्तों, अर्थात् किशोर सिंह उर्फ किशन सिंह, जो कि आपराधिक अपील संख्या 342/2022 में प्रत्यर्थी हैं, और कालू सिंह, जो कि आपराधिक अपील संख्या 343/2022 में प्रत्यर्थी हैं,

को जमानत दी गई है, जिनके संबंध में एफआईआर संख्या 229/2019 पुलिस स्टेशन भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान में दर्ज हुई।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलकर्ता मृतक की पत्नी है, जिसने 14 मई, 2019 को मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक सोहन सिंह, उम्र 48 वर्ष, 13 मई 2019 को सवाई सिंह के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अपने घर से निकला था और अगली सुबह 2.00 बजे तक उसके लौटने की उम्मीद थी। जब मृतक घर नहीं लौटा, तो अपीलकर्ता ने यह मान लिया कि वह सवाई सिंह के घर पर रह सकता है। हालांकि, जब उसने अगली सुबह पूछताछ की, तो सवाई सिंह ने उसे बताया कि मृतक पिछली रात ही शादी समारोह से निकल गया था। अपीलकर्ता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में आगे कहा कि उसे संदेह है कि प्रत्यर्थियों ने अपनी मां तेजी देवी के साथ मिलकर किसी तरह से उसके पति को नुकसान पहुंचाया होगा।

3. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/2019 दिनांकित 15 मई, 2019 मृतक के पुत्र के कहने पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि मृतक अपने भतीजे सवाई सिंह के विवाह समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था। मृतक को अंतिम बार तीन अभियुक्तों, अर्थात् किशोर सिंह उर्फ किशन सिंह, कालू सिंह, जो कि यहाँ प्रत्यर्थी हैं और तेजी देवी, जो कि प्रत्यर्थी अभियुक्त की माँ हैं, के घर के बाहर देखा गया था। राहगीरों ने मृतक के पुत्र (प्रार्थी) को बताया था कि उन्होंने मृतक की मौत की रात आरोपी व्यक्तियों को मृतक से झगड़ते देखा था। नाथ सिंह ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि उसने अभियुक्तों को उनके घर के बाहर मृतक के साथ झगड़ते और बाद में मृतक को अपने घर में घसीटते हुए देखा था, जिसमें उसके साथ

मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने मृतक के शव को घसीट कर पास के कुएं में फेंक दिया।

4. 15 मई, 2019 को आयोजित पोस्टमॉर्टम परीक्षा की रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि मृतक की मृत्यु "एस्फिक्सिया और शिरापरक जमाव के कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट"के परिणामस्वरूप हुई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मृतक अपनी मृत्यु के बाद डूब गया था और ऐसा लगता है कि मृतक की गर्दन की हड्डी टूट गई है। मृत्यु के कारण के रूप में अंतिम रिपोर्ट आरक्षित थी, जिसे फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना था।

5. पुलिस द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2019 को तीन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "आईपीसी") की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत आरोप पत्र जिला न्यायाधीश, राजसमंद, राजस्थान के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चार्जशीट में दर्ज किया गया है कि घटना की रात, मृतक ने लगभग 2.00 बजे तेजी देवी का दरवाजा खटखटाया था। उसने अपने बेटों कालू सिंह और किशन सिंह (प्रत्यर्थी आरोपीगण) को इस बारे में सूचित किया। प्रत्यर्थी अभियुक्त जो अपने घर की छत पर थे, नीचे कूद गए और मृतक पर हत्या करने के इरादे से लाठियों से हमला किया। मृतक के मारे जाने के बाद तीनों आरोपियों ने मृतक के शव को घसीट कर पास के एक कुएं में फेंक दिया ।

मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजसमंद, राजस्थान की अदालत में विचारण के लिए सुपुर्द किया गया।

6. प्रत्यर्थी अभियुक्तों को प्राथमिकी संख्या 229/2019 के संबंध में 23 मई, 2019 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में

भेज दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णयों द्वारा जमानत दिए जाने से पहले वे लगभग चार महीने की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रहे।

7. प्रत्यर्थियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजसमंद, राजस्थान की अदालत के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 (संक्षेप में, "द.प्र.सं.") के तहत जमानत के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये। आपराधिक अपील संख्या 342/2022 में अभियुक्त किशन सिंह द्वारा संदर्भित जमानत आवेदन कथित अपराधों की गंभीरता और अभियुक्तों के अपराध के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद प्रथम दृष्टया साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 09 जुलाई, 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, आपराधिक अपील संख्या 343/2022 में अभियुक्त कालू सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका को भी 05 सितंबर, 2019 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

8. प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर कीं और दिनांक 9 सितंबर, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 के आक्षेपित आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने उन्हें 2019 की प्राथमिकी संख्या 229 से उत्पन्न मामले में जमानत पर छोड़ दिया है।

प्रत्यर्थी अभियुक्त को जमानत दिए जाने से व्यथित होकर, मृतक की अपीलकर्ता पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील की है।

9. हमने आपराधिक अपील संख्या 342/2022 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच.डी. थानवी और दूसरे प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री. मेहुल एम. गुप्ता को सुना और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कथन किया कि उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से अभियुक्तों को जमानत देने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का उचित उपयोग नहीं किया है। यह कि उच्च न्यायालय, आक्षेपित आदेशों में प्रत्यर्थी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराधों की गंभीरता पर और जिस क्रूर तरीके से अपराध किया गया और मृतक के शरीर को हत्या के हथियार के साथ एक कुएं में फेंक कर छुपाने का प्रयास किया गया, इन बातों पर विचार करने में विफल रहा।

11. यह आग्रह किया गया था कि परीक्षण अभी शुरू हुआ है और तेरह गवाहों की जांच की जानी बाकी है; इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्तों को हिरासत में रहना अनिवार्य है कि वे फरार न हों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या मृतक और/या गवाहों के परिवार को धमकी न दें, इससे भी अधिक, क्योंकि आरोपी ने पहले मृतक के शरीर को, हत्या में प्रयुक्त लाठियों के साथ, एक कुएं में फेंक कर, सबूत मिटाने का प्रयास किया था।

12. उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, आरोपी किशन सिंह ने अपीलकर्ता को केस नंबर 299/2019 के संबंध में आपराधिक मुकदमा चलाने के गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी कि इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 107 और 116(3) के तहत एक शिकायत भी दर्ज की गई है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी अभियुक्त को जमानत देने के लिए कारण नहीं बताए हैं और बिना किसी तर्क के आधार पर एक क्रिप्टिक आदेश द्वारा जमानत दी गई है, इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त, कथित अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर, आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया:

i) **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और अन्य- [(2004) 7 SCC 528]**में, इस न्यायालय ने माना कि हालांकि यह स्थापित है कि जमानत अर्जी पर विचार करने वाली अदालत सबूतों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों पर विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है, न्यायालय को प्रथम दृष्टया जमानत देने के औचित्य के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है।

ii) **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह @ लल्ला बहू और अन्य- [(2012) 9 SCC 446]** का संदर्भ दिया गया था, यह तर्क देने के लिए कि जमानत की मांग करने वाले अभियुक्त द्वारा हिरासत की अवधि, जमानत के लिए आवेदन का निर्णय करते समय विचार किया जाने वाला एक प्रासंगिक कारक था। यह कि मौजूदा मामले में, अभियुक्तों को जमानत पर रिहा होने से बमुश्किल चार महीने पहले हिरासत में रखा गया था और इसलिए, अभियुक्तों को जमानत देने का आदेश कानून की नजर में मान्य नहीं है।

15. पूर्वोक्त मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि एक अदालत को जमानत देने से पहले उन कारकों पर विचार करना चाहिए, जिनमें सामाजिक सरोकार भी शामिल है, जो जमानत देने को न्यायोचित ठहराते हैं ।

(i) **सीबीआई बनाम अमरमणि त्रिपाठी के माध्यम से राज्य में - [(2005) 8 एससीसी 21]**, इस न्यायालय ने माना कि एक अभियुक्त को जमानत देने वाली अदालत को अपना मस्तिष्क लगाना चाहिए और रिकॉर्ड में योग्यता और सबूत पर जाना चाहिए और निर्धारित करना

चाहिए कि क्या अभियुक्त के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है। यह माना गया कि अपराध की गंभीरता और महत्व भी एक प्रासंगिक विचार है। इस तरह की टिप्पणियों के आधार पर, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभियुक्त को जमानत दी गई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, जिसने संकेत दिया कि अभियुक्तों ने हर महत्वपूर्ण समय पर, जांच के दौरान हस्तक्षेप करने, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने, सबूत गढ़ने, डराने या जांच अधिकारियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने और मामले को पटरी से उतारने की कोशिश की थी।

16. उपरोक्त संदर्भ में, श्री एच.डी. थानवी, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह अत्यधिक संभावना थी कि अभियुक्तों को, यदि उनके जमानत बांड को रद्द करने पर हिरासत में नहीं भेजा जाता है, तो जांच में हस्तक्षेप करने की संभावना है, फरार हो सकते हैं या यहां तक कि अपीलकर्ता और मुखबिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह भी आग्रह किया गया कि प्रत्यर्थी अभियुक्तों को जमानत देना कानून के स्थापित सिद्धांतों और इस न्यायालय के निर्णयों के विपरीत था। मृतक की अपीलकर्ता पत्नी की ओर से यह निवेदन किया गया था कि आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हुए इन अपीलों को स्वीकार किया जावे।

17. इसके विपरीत, श्री मेहुल एम. गुप्ता, आपराधिक अपील संख्या 342/2022 में प्रत्यर्थी अभियुक्त के विद्वान वकील ने तर्क दिये कि आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए आवश्यक किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं। अपीलकर्ता और उसके बेटे, मुखबिर ने आरोपी को झूठा फंसाने के लिए घटनाओं का एक असत्य संस्करण सुनाया है।

18. मृतक की दिनांक 15 मई, 2019 की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की सामग्री का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया कि मृतक की मृत्यु अचानक कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट से पीड़ित होने के कारण हुई थी और इसलिए, मृतक की मौत के लिए अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी कहा गया कि चूंकि मृत्यु के कारण के बारे में अंतिम रिपोर्ट आरक्षित थी और फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाना था, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि आरोपीगण की मृतक की मौत में कोई भूमिका थी।

19. यह आरोप कि आरोपी किशन सिंह ने जमानत पर रिहा होने के बाद अपीलकर्ता को धमकी दी थी, का भी खंडन किया गया है। इस संबंध में यह कथन किया गया है कि इस तरह के आरोप और अपीलकर्ता द्वारा इस तरह के आरोप के संबंध में दर्ज की गई शिकायत केवल आरोपी को झूठा फंसाने का प्रयास मात्र है।

20. इसके बाद यह आग्रह किया गया कि प्रारंभिक चरण में उच्च न्यायालय को मामले की योग्यता और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के रूप में एक विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की कवायद, अगर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी पर फैसला करते समय की जाती है, तो इससे निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए, अभियुक्तों को जमानत देने के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. श्री एच.डी. थानवी, अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए, कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश जिसके द्वारा प्रत्यर्थी अभियुक्तों को जमानत दी गई थी, किसी भी तर्क से

रहित हैं और ऐसे आदेश आकस्मिक और गूढ़ हैं, हम यहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9 सितंबर, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 के विवादित आदेशों के उन अंशों को निकालते हैं, जो जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के "तर्क"को दर्ज करते हैं:

### **आक्षेपित आदेश दिनांक 09 सितम्बर, 2019**

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं धारा 439 Cr.P.C के तहत आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित और सही समझता हूं। तदनुसार, धारा 439 Cr.P.C. के तहत दायर इस जमानत याचिका को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता किशोर सिंह @ किशन सिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह रावत को पुलिस स्टेशन-भीम, जिला-राजसमंद की प्राथमिकी संख्या 229/2019 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए। बशर्ते कि वह 50,000 रुपये की राशि में एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करता है / दो ध्वनि और सॉल्वेंट जमानत के साथ रु. 25,000/ प्रत्येक विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए उस कोर्ट के समक्ष सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उसकी उपस्थिति के लिए और जब भी परीक्षण पूरा होने तक ऐसा करने के लिए कहा जाए।"

### **आक्षेपित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2019**

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं धारा 439 Cr.P.C के तहत आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित और सही समझता हूं। तदनुसार, धारा 439 Cr.P.C. के तहत दायर इस जमानत याचिका को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता

कालू सिंह पुत्र इंगर सिंह रावत को पुलिस स्टेशन भीम, जिला राजसमंद की प्राथमिकी संख्या 229/2019 के संबंध में जमानत पर रिहा किया जाए। बशर्ते कि वह 50,000 रुपये की राशि में एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करता है 25,000 रुपये की दो ठोस और सॉल्वेंट जमानत के साथ/प्रत्येक विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर उस अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए और जब भी परीक्षण पूरा होने तक ऐसा करने के लिए कहा जाए।"

22. इस अदालत ने कई मौकों पर एक जमानत अर्जी का फैसला करते समय एक अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा की है। जमानत देने का फैसला करते समय जिन प्राथमिक बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैं: (i) अपराध की गंभीरता; (ii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर अभियुक्त की रिहाई का प्रभाव; (iv) अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना हालांकि ऐसी सूची संपूर्ण नहीं है। यह कहा जा सकता है कि यदि कोई न्यायालय जमानत आवेदन पर निर्णय लेने में ऐसे कारकों को ध्यान में रखता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह निर्णय उसके विवेक के विवेकपूर्ण प्रयोग का परिणाम है,

गुडिकांत नरसिम्हलु और अन्य द्वारा बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय [(1978) 1 एससीसी 240]; प्रहलाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली की एनसीटी और अन्य। - [(2001) 4 एससीसी 280; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) [(2018) 12 एससीसी 129].

23. इस न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि यांत्रिक तरीके से बिना कारण दर्ज किए जमानत देने का आदेश, मस्तिष्क के गैर-अनुप्रयोग के पाप से पीड़ित होगा, इसे अवैध बना देगा, राम गोविन्द उपाध्याय बनाम

सुदर्शन सिंह [(2002) 3 एससीसी 598; कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (सुप्रा); प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी - [(2010) 14 एससीसी 496]; रमेश भवन राठौड़ बनाम वोशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) व अन्य। - [(2021) 6 एससीसी 230; बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार और अन्य। - क्रिमिनल अपील नंबर 1663 ऑफ 2021 [2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1280].

24. मनोज कुमार खोखर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2022 की आपराधिक अपील संख्या 36 [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 30] और जयबुनिशा बनाम मेहरबान और अन्य में इसी खंडपीठ के हालिया फैसलों का भी संदर्भ लिया जा सकता है। 2022 की आपराधिक अपील 77 [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 58], जिसमें केस कानून की विस्तृत चर्चा में संलग्न होने पर उपरोक्त का हवाला दिया गया और विधिवत रूप से यह स्वीकार करने के बाद कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अमूल्य अधिकार है, हमने माना है कि एक अभियुक्त को जमानत देने का आदेश, यदि एक आकस्मिक तरीके से पारित किया गया है, तो उसके तर्क जो जमानत देने को मान्य करेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

25. लैटिन कहावत "सेसेंट राशन लेगिस सेसेट इप्सा लेक्स"का अर्थ है "कारण कानून की आत्मा है, और जब किसी विशेष कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो कानून भी समाप्त हो जाता है,"भी उपयुक्त है।

26. हमने उपरोक्त विवादित आदेश के प्रासंगिक अंशों को निकाला है। शुरुआत में, हम देखते हैं कि निकाले गए हिस्से जमानत देते समय उच्च न्यायालय के "तर्क"का हिस्सा बनने वाले हिस्से हैं। जैसा कि पूर्वोक्त निर्णयों से पता चलता है, न्यायालय के लिए जमानत देते समय

विस्तृत कारण देना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से तब जब मामला प्रारंभिक चरण में हो और अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों के आरोपों को इस तरह स्पष्ट नहीं किया गया हो। यह आभास देने के लिए विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया जा सकता है कि यह मामला ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप जमानत देने के लिए एक आवेदन पर एक आदेश पारित करते समय दोषसिद्धि या, इसके विपरीत, बरी हो जाएगी। हालाँकि, जमानत अर्जी पर निर्णय लेने वाला न्यायालय अपने निर्णय को मामले के भौतिक पहलुओं जैसे अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता है; सजा की गंभीरता यदि आरोप उचित संदेह से परे साबित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है; अभियुक्तों द्वारा प्रभावित किए जा रहे गवाहों की उचित आशंका; सबूतों से छेड़छाड़; अभियोजन पक्ष के मामले में तुच्छता; अभियुक्तों के आपराधिक पूर्ववृत्त; और आरोपी के खिलाफ आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

27. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करेंगे। उत्तरदाताओं के आरोपों के साथ-साथ बार में उठाए गए विवादों को ऊपर वर्णित किया गया है। इस पर विचार करने पर, मामले के निम्नलिखित पहलू सामने आएंगे:

a) यहां अपीलकर्ता के पति सोहन सिंह की हत्या के संबंध में आरोपी प्रत्यर्थी के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं।

b) अभियुक्तों के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने मृतक पर हत्या का अपराध किया और मृतक के शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का प्रयास किया और लाठियां जिससे हमला किया गया, उसी को पास के एक कुएं में फेंक कर, ताकि अपराध को छुपाया जा सके।

c) अपीलकर्ता का यह भी मामला है कि आरोपी किशन सिंह की जमानत पर रिहाई के बाद, उसने अपीलकर्ता को एफ.आई.आर. संख्या 299/2019 के संबंध में आपराधिक मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इस संबंध में किशन सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इस प्रकार, यदि जमानत पर है, तो अभियुक्त द्वारा गवाहों को धमकाने या अन्यथा प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

d) इस आशय के अभियुक्तों की ओर से दिए गए तर्क के संबंध में कि मृतक की मृत्यु अचानक कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट से पीड़ित होने के कारण हुई थी और इसलिए, मृतक की मृत्यु को आरोपी द्वारा किए गए हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, हम देखते हैं, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हुए, कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जब पूरी तरह से विचार की जाती है, तो इस तथ्य का संकेत मिलता है कि मृतक की हत्या की गई थी। यद्यपि मृत्यु का कारण "एस्फिक्सिया और शिरापरक जमाव के कारण कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट"के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन मृतक की गले की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के अपराध के रूप में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया है। इसलिए, हम प्रथम दृष्टया यह नहीं मानते हैं कि अभियुक्तों को फंसाने के उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

e) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजसमंद, राजस्थान के समक्ष सी.आर.पी.सी. की धारा 439 के तहत प्रत्यर्थी-आरोपी द्वारा दायर जमानत आवेदन कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिए गए थे।

f) राजस्थान के उच्च न्यायालय ने दिनांक 9 सितंबर, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 के विवादित आदेशों में जमानत देने के संदर्भ में मामले के पूर्वोक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

28. उपरोक्त वर्णित कानून के आलोक में वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हमें नहीं लगता कि यह मामला प्रतिवादियों को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है,

29. जैसा कि गुरचरण सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) [1978 सीआरआईएलजे 129] में उल्लेख किया गया है, जब एक अभियुक्त को जमानत दी गई है, तो राज्य ऐसी जमानत देने के बाद नई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सी.आर.पी.सी. की धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने की मांग की। हालाँकि, यदि जमानत दिए जाने के बाद से कोई नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो राज्य इस आधार पर जमानत देने के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है कि यह विकृत या अवैध है या भौतिक पहलुओं की अनदेखी करके किया गया है जो आरोपी के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करता है। आश्चर्यजनक रूप से, राजस्थान राज्य ने यहां दिए गए आदेशों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।

जबकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जमानत देने पर विचार करने वाले न्यायालय को मामले की योग्यता पर विस्तृत चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय मामले का एकल भौतिक पहलू एक भी ध्यान में नहीं रखा है। उच्च न्यायालय ने बहुत ही गूढ़ और आकस्मिक आदेश पारित करते हुए अभियुक्तों को जमानत दे दी है, जो कि बहुत ही ठोस

तर्क है। हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत के आवेदनों को अनुमति देकर उच्च न्यायालय सही नहीं था। इसलिए 9 सितंबर, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

30. प्रत्यर्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड रद्द किए जाते हैं और उन्हें आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

(एम.आर. शाह)

(बी.वी. नागरत्ना)

नयी दिल्ली;

11 मार्च, 2022

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.